

18-7-19.

बार-बार आवाज लगाये जाने के बाद भी न अपीलान्ट और न अधिवक्ता अपी० उप० आये। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रा० में दिनांक 16-8-17 से रजि० AD सम्मन पेश होने हैं। जो आज दि० तक पेश नहीं हुई है। अपीलान्ट को पूर्व में कई अन्तिम अवसर दिये गये। अब पत्रावली आदेशिका दि० 15-10-18 के अनुसार अदम हाजरी, अदम पेशनी व अदम-तक मील में खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे, बाद जाफ़ा कारबल दफ़तर है।

①

सु-सहाय न्यायाधीश  
सदर  
राजस्थान न्याय न्यायाधीश  
जयपुर न्याय-धीनपुर